भीलवाड़ा

16.6.17

पत्रावली आर्डर जेरे धारा आदेश के हार -2017 जेल्य ओली में दिनांक 16.6.17 को प्रस्तुत हुई। प्रार्थना स्वीकार किया जाकर निर्णय मूलतः से लिया जाकर शामिल पत्रावली के किया गया।

पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर 6 कम हो।

प्रकरण संख्या :– 79 / 2017

1. दुर्गालाल आत्मज हजारी भाण्ड, निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. पप्पुलाल उर्फ जगदीश आत्मज हजारी भाण्ड, निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. अतीनराज पुत्र पप्पुलाल भाण्ड, आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मुन्ना देवी पुत्री रतनसुख भाण्ड, निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर सिंह पुत्र नन्दसिंह राजपूत, निवासी कुम्हारिया तहसील व जिला भीलवाडा।
2. भैरू सिंह पुत्र नवल सिंह राजपूत, निवासी कुम्हारिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3. लादु पुत्र हजारी जाट, निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. सज्जन सिंह पुत्र नन्द सिहं राजपूत, निवासी कुम्हारिया तहसील व जिला भीलवाडा।
5. कालू पुत्र बगता चमार, निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. रामेश्वर पुत्र तेजा चमार, निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. सूरजकवंर पत्नी नन्द सिंह राजपूत, निवासी कुम्हारिया तहसील व जिला भीलवाडा।
8. कैलाश पुत्र प्रहलाद अग्रवाल निवासी——
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

——**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू.—राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 16.06.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 25.04.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुम्हारिया, पटवार हल्का भोली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 607 रकबा 01—05 बीघा, आराजी संख्या 608 रकबा 01—13 बीघा, आराजी संख्या 617 रकबा 01—01 बीघा, आराजी संख्या 618 रकबा 02—14 बीघा, आराजी संख्या 619 रकबा 04—10 बीघा, आराजी संख्या 620 रकबा 01—05 बीघा, आराजी संख्या 620 / 1 रकबा 00—01 बीघा, आराजी संख्या 646 रकबा 00—02 बीघा, आराजी संख्या 649 रकबा 00—09 बीघा, आराजी संख्या 650 रकबा 00—12 बीघा, आराजी संख्या 651 रकबा 00—14 बीघा, आराजी संख्या 652 रकबा 00—13 बीघा, आराजी संख्या 653 रकबा 00—08 बीघा, आराजी संख्या 654 रकबा 00—10 बीघा, आराजी संख्या 821 / 619 रकबा 02—03 बीघा, आराजी संख्या 878 / 619 रकबा 01—17 बीघा, कुल किता 16 कुल रकबा 19—17 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कुम्हारिया, पटवार हल्का भोली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 607 रकबा 01–05 बीघा, आराजी संख्या 608 रकबा 01–13 बीघा, आराजी संख्या 617 रकबा 01–01 बीघा, आराजी संख्या 618 रकबा 02–14 बीघा, आराजी संख्या 619 रकबा 04–10 बीघा, आराजी संख्या 620 रकबा 01–05 बीघा, आराजी संख्या 620/1 रकबा 00–01 बीघा, आराजी संख्या 646 रकबा 00–02 बीघा, आराजी संख्या 649 रकबा 00–09 बीघा, आराजी संख्या 650 रकबा 00–12 बीघा, आराजी संख्या 651 रकबा 00–14 बीघा, आराजी संख्या 652 रकबा 00–13 बीघा, आराजी संख्या 653 रकबा 00–08 बीघा, आराजी संख्या 654 रकबा 00–10 बीघा, आराजी संख्या 821/619 रकबा 02–03 बीघा, आराजी संख्या 878/619 रकबा 01–17 बीघा, कुल किता 16 कुल रकबा 19–17 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पदेन सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा
भीलवाडा